संख्या-46/2021/1207/33-3-2021-100(09)/2019

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

विशेष कार्याधिकारी/सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
उ0प्र0 लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 03 अगस्त, 2021**

विषय:- त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 एवं उप निर्वाचन में चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिकों को अनुग्रह राशि के भुगतान हेतु अनुदान संख्या-14, लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-11-पंचायतीराज चुनाव हेतु व्यवस्था-42-अन्य व्यय में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-23/रा0नि0आ0/लेखा/2021 दिनांक 19.07.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अनुदान संख्या-14, लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-11-पंचायतीराज चुनाव हेतु व्यवस्था-42-अन्य व्यय में रू. 325.00 करोड़ (रू. तीन सौ पच्चीस करोड़ मात्र) की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदया द्वारा पुनर्विनियोग निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है:-

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही धनराशि का उपयोग सामान्य पंचायत निर्वाचन-2021 के निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत हुए कर्मचारियों की अनुग्रह धनराशि के भुगतान पर ही किया जायेगा।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराई गई धनराशि का अनुग्रह मद के अलावा अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही धनराशि आहरित बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी। धनराशि कोषागार से आर.टी.जी.एस. के माध्यम से अनुग्रह राशि के पात्र आश्रितों को प्रदान की जायेगी।

(4) पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय के उपरान्त व्यय हुई धनराशि का व्यय विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) धनराशि के व्यय के दौरान सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुपालन के साथ-साथ यथावश्यक सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

बचत का विवरण			**पुनर्विनियोग का विवरण**				
लेखाशीर्षक	**प्रावधान**	**बचत**	**लेखाशीर्षक**	**बजट**	**प्रत्याशित व्यय**	**प्रस्ताव**	**वित्त विभाग की सहमति**
2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-101- पंचायतीराज-0103- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (के.60/रा.40)- 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	156374.00	121374.00	2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-11-पंचायतीराज चुनाव हेतु व्यवस्था के मानक मद-42-अन्य व्यय	**24900.00**	**85500.00**	**27500.00**	**25600.00**

उक्त व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम किए जाने हेतु प्रपत्र-बी.एम.9 (भाग-1) संलग्न है, जिस पर आर.ई.संख्या-35/ई-2-748/दस-2021 दिनांक 03.08.2021 अंकित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह धनराशि उसी कार्य हेतु व्यय की जायेगी, जिसके लिए इसका पुनर्विनियोग किया गया है। उक्त कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य पर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक-यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकर, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग,उ0प्र0, लखनऊ।

3- निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से पुनर्विनियोग की गई उपरोक्त धनराशि के बजट में प्रावधानित कराने हेतु अनुपूरक बजट का प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध करायें।

4- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, लखनऊ।

6- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।